



गुरुवार, 11 मई, 2023

नई दिल्ली

तत्काल प्रकाशनार्थ

टाटा पावर-डीडीएल द्वारा बिजली चोरी और डिस्कनेक्शन के मामलों के निपटारे के लिए 13 मई को 'स्पेशल लोक अदालत' का आयोजन

लोक अदालत का आयोजन स्थायी लोक अदालत - 1, सब-स्टेशन बिल्डिंग 2/13, सैक्टर 13, रोहिणी, दिल्ली में किया जाएगा

नॉर्थ एवं नॉर्थवेस्ट दिल्ली में 7 मिलियन की आबादी की अग्रणी पावर यूटिलिटी सेवा प्रदाता टाटा पावर-डीडीएल आगामी शनिवार, आगामी 13 मई, 2023 को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLISA) के साथ मिलकर, *स्थायी लोक अदालत - 1, सब-स्टेशन बिल्डिंग 2/13, सैक्टर 13, रोहिणी, दिल्ली (निकट वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल)* में एक विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रही है। इस अदालत में बिजली चोरी और डिस्कनेक्शन के मामलों का तत्काल निपटारा किया जाएगा।

लोक अदालत में भाग लेने संबंधी पूछताछ के लिए 19124 पर कॉल करें या eac.care@tatapower-ddl.com पर ईमेल भेजें। लोक अदालत में आने वाले शिकायतकर्ताओं को अपने साथ एक फोटो पहचान-पत्र तथा अपने बिजली चोरी बिल की एक प्रति लानी होगी।

इस स्पेशल लोक अदालत में उन मामलों को शामिल किया जा सकता है जो पहले से लंबित हैं या किसी अन्य अदालत में दायर किए जाने हैं। जो भी अपने बिजली चोरी के मामलों का निपटारा करना चाहते हैं वे व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए (उन्हें आपकी ओर से जारी अथॉरिटी लैटर साथ लाना होगा) अपने मामले इस स्पेशल लोक अदालत में पेश कर सकते हैं।

जो उपभोक्ता बिजली चोरी के अनसुलझे मामलों का शांतिपूर्ण निपटारा चाहते हैं, वे इस अदालत में भाग ले सकते हैं। यदि बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया जाएगा, तो डिस्कॉम ऐसे डिफॉल्टर्स के खिलाफ विद्युत अधिनियम, 2003 के संबंधित प्रावधानों के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है। उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का भुगतान डिमांड ड्रॉफ्ट, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन अथवा कैश से कर सकते हैं।

टाटा पावर-डीडीएल इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अपने उपभोक्ताओं को विभिन्न माध्यमों से सूचित कर रही है।

अधिक जानकारी हेतु संपर्क:

कार्पोरेट कम्युनिकेशंस:

सोनिया सरीन (9910292599)

मेडिसन पीआर:

वरुण भारद्वाज (9599994592)

